न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2018
दायर दिनांक – 03/01/2018
निर्णय दिनांक – 12/01/2019

अनवान

1. सोहनलाल पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं अंकन

: : निर्णय : :

वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड की वर्तमान आराजी संख्या 445 रकबा 11–02 बीघा व 449 रकबा 23–05 बीघा कुल किता – 02 कुल रकबा 34–07 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में से वादी ने खातेदार धन्ना पिता धुला, जालम, गोपी पिता सवाईराम, देवीलाल पिता रतनलाल चम्पा बाई पत्नि स्व. रतनलाल, शंकरलाल पिता गणेश, जमना दुख्तर अमरा, दिनेशचन्द्र पिता मगना, मांगी बेवा मगना, अमरचन्द पिता किशना, रामलाल पिता जोधा, लेहरू, लोभचन्द पिता केला, दीपा पिता हुकमा सभी जाति चमार से उक्त भूमियां अलग–अलग दिनांक में क्रय की जो खातेदार धन्ना पिता धुला से 05–00 बीघा, दिनांक 17/06/2004 को, दीपा पिता हुकमा से दिनांक 20/09/2004 को सम्पूर्ण भूमि में से 1/12 हिस्सा यानि 02–17 बीघा, जालम, गोपी पिता सवाईराम से 1/32 हिस्सा यानि 01–01 बीघा दिनांक 08/12/2004 को, रामलाल पिता जोधा से दिनांक 20/09/2007 को 1/54 हिस्सा यानि 00–13 बीघा, देवीलाल चम्पाबाई से दिनांक 01/09/2008 को 1/54 हिस्सा यानि 00–13 बीघा, शंकर पिता गणेश से दिनांक 25/12/2008 को 1/54 हिस्सा यानि 00–13 बीघा, लेहरू, लोभचन्द पिता केला से दिनांक 31/12/2008 को 1/18 हिस्सा यानि 01–18 बीघा, जमना दुख्तर अमरा से दिनांक 03/08/2009 को 1/36 हिस्सा 00–19 बीघा, दिनेश मांगी से दिनांक 23/07/2010 को 1/36 हिस्सा यानि 00–19 बीघा व दिनांक 25/10/2010 को

सहायक कलक्ट
(उप खण्ड अधिक
रेलमगरा

अमरचन्द पिता किशना से 1/24 हिस्सा यानि 01–19 बीघा भूमि क्रय की जिमेंसे धन्ना पिता धुला से 1/3 हिस्सा में से 05–00 बीघा व अन्य से सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया, जो क्रय किया हुआ हिस्सा 16–02 बीघा बनता है। व इसी अनुसार नामान्तरकरण निर्णित किये गये। किन्तु जमाबन्दी में राजस्व विभाग की गलती से 04–15 बीघा भूमि ही अंकन की गई। जिसको दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी को वादी ने बार बार निवेदन किया कि मैने 16–02 बीघा भूमि क्रय की हुई है। जिसको जमाबन्दी में सही अंकन करें, लेकिन नही करके टालमटोल कर रहे है। जबकि वादी का क्रयशुदा समस्त रकबें 16–02 बीघा पर आधिपत्य होकर काश्त कर रहा है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को रकबें में सुधार करने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही ईन्द्राज करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व आज से एक माह पूर्व भी प्रतिवादीगण को कहने पर नही मान रह है, तब से वादी का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादी की आराजी संख्या 445 रकबा 11–02 बीघा व आराजी संख्या 449 रकबा 23–05 बीघा कुल किता–02 कुल रकबा 34–07 बीघा में से जो भूमियां पूर्व खातेदार से दिनांक 17/06/2004, 20/09/2004, 08/12/2004, 20/09/2007, 01/09/2008, 25/12/2008, 30/12/2008, 03/08/2009, 23/07/2010, 25/10/2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी ने क्रय की जो रकबा 16–02 बीघा बनता है इसी अनुसार नामान्तरकरण निर्णित किये गये उसके अनुसार राजस्व अभिलेख में सही अंकन का गलत इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये सही अंकन किया जाने हेतु डिक्रि प्रतिवादी के विरूद्व पारित फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। तथा वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 सोहनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत रखा गया। दौराने लोक अदालत वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं दौराने बहस पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति प्रकट की गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस पर चिन्तन एवं मनन करने तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया जाने पर वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपने वाद पत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड के आराजी संख्या 445 रकबा 11–02 बीघा व आराजी संख्या 449 रकबा 23–05 बीघा कुल किता–02 कुल रकबा 34–07 बीघा में से जो भूमियां पूर्व खातेदार से दिनांक 17/06/2004, 20/09/2004, 08/12/2004, 20/09/2007, 01/09/2008, 25/12/2008, 30/12/2008, 03/08/2009, 23/07/2010, 25/10/2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी ने क्रय की जो रकबा 16–02 बीघा का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने को आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

12/1/19

(चन्द्रशेखर मण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0 ए0 एस
राजस्व वाद संख्या :– 02/2018 वाद

वादीपक्ष :–
1. सोहनलाल पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी गिलुण्ड तह0– रेलमगरा

–: बनाम :–

प्रतिवादीपक्ष :–
1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– अधिवक्ता– दिनेश आचार्य
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– पैराकार सरकार

में इस आशय में दिनांक 12/01/2019 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड के आराजी संख्या 445 रकबा 11–02 बीघा व आराजी संख्या 449 रकबा 23–05 बीघा कुल किता–02 कुल रकबा 34–07 बीघा में से जो भूमियां पूर्व खातेदार से दिनांक 17/06/2004, 20/09/2004, 08/12/2004, 20/09/2007, 01/09/2008, 25/12/2008, 30/12/2008, 03/08/2009, 23/07/2010, 25/10/2010 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी ने क्रय की जो रकबा 16–02 बीघा का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने को आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 12/01/2019 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

12/1/19
(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा